(17)

रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2011/माघ 5, 1932

No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2011/MAGHA 5, 1932

IndiaCode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

का.आ. 165(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, भारत सरकार द्वारा स्थापित, संचालित और प्रशासित विद्यालयों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 1-3/2010-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2011

S.O. 165(E).— In exercise of the powers conferred by clause (p) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby specifies the schools established, managed and administered by the Central Tibetan Schools Administration, Government of India as specified category schools for the purposes of the said Act.

[F. No. 1-3/2010-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.